कार्यालयः गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर ।

पत्रांकः 9234/मान0अनु0/गो0वि0प्रा0/2013–14 दिनांकः 20/02/2014

डिमान्ड/शपथ–पत्र/शर्त

सेवा में,

निदेशक,
मे0 अम्बे प्राप्टेक प्रा0 लिमिटेड,
संगम साड़ी सेन्टर के ऊपर,
गोलघर, गोरखपुर–273001

महोदय,

कृपया आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या–261/2013 जो मो0 मोहद्दीपुर के भूखण्ड संख्या–686 व 686ए पर प्रस्तुत किया गया था, में क्रय–योग्य एफ0ए0आर0 को इस हेतु गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 14.02.2014 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

अतः क्रय–योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क रू0 **2,64,95,778.00** मात्र पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर प्राधिकरण निधि में जमा कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखत अभिलेख/शर्तों को प्रस्तुत/पूर्ण किया जाना हैः–

<u>शर्ते :–</u>

1– भवन निर्माण में अग्निशमन सुरक्षा हेतु चीफ फायर आफिसर (सी0 एफ0 ओ0) के निर्देशों के क्रम में निर्माण करना होगा व निर्माण स्थल पर आवश्यक समस्त उपकरण लगाने होगे,इस हेतु (सी0 एफ0 ओ0) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण में जमा करना होगा।

2– पक्ष को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि निर्माण सम्बन्धि सामग्री अपने बाऊन्ड्री कैम्परा अन्दर रखना होगा।

3– स्ट्रक्चरल सेफ्टी हेतु पोस्ट ग्रेजूएशन स्ट्रक्चरल इंजीनियर जिसकी प्रेक्टिस अवधि 10 वर्ष से अधिक हो, से स्ट्रेक्चर डिजाईन कराना होगा व उसका प्रमाण–पत्र देना होगा तथा किसी राजकीय अभियन्त्रण कालेज से वैट कराना होगा।

4– स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिग कराये जाने हेतु शपथ पत्र देना होगा ।

5– एयर फोर्स की एन0ओ0सी0 देनी होगी, तब तक 12.50 मी0 ऊचाई तक निर्माण अनुमन्य होगा।

6– भू–स्वामित्व सम्बन्धि विवाद होने पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा। सम्पूर्ण भू–खण्ड के लम्बाई एवं चौड़ाई के सम्बन्ध में शपथ– पत्र देना होगा।

7– रोड वाईडनिंग में पडने वाले भू–भाग को छोडने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र देना होगा।

8– भवन निर्माण का सुपरविजन ग्रेजुएट सिविल इंजिनियर जिनका कार्य का अनुभव लगभग 10 वर्ष तक का हो से ही कराना होगा एवं प्रत्येक 2500 वर्ग मीटर के कवरेज पर एक ग्रेजुएट इंजिनियर सुपरविजन किये जाने हेतु रखना होगा।

9– भवनो की छत पर सोलर वाटर हीटिग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा तथा इस हेतु शपथ पत्र देना होगा।

10– प्रस्तावित भू–खण्ड का किसी सरकारी /गैर सरकारी नगर निगम आदि में हाने के सम्बन्धमें आर0 आई0 नगर निगम से एन0ओ0सी0 लानी होगी फिर भी भू–स्वामित्व में किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

11– प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति के सम्बन्ध में किसी भी मद में कोई अन्य चार्जेज मांगे जाने पर पक्ष द्वारा वहन होगा, इस का शपथ पत्र भी देना होगा ।

12– बेसमेन्ट की खुदाई से पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय से एन0ओ0सी0 प्राप्त किया जाना होगा।

13– सेस चार्ज के सम्बन्ध में शपथ पत्र देना होगा।

14– मनोरंजन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

15– भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के अध्याय–14 के बिन्दु संख्या–14.10 (iii) के अनुसार यदि छूट लेनी होगी तो बैंक गारण्टी देना होगा।

16– जलापूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल आदि का कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पूर्व किया जाना होगा।

17– सीवर डिस्पोजल हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था करनी होगी तथा सीवर की एक लाईन मुख्य सड़क तक लानी होगी, जिससे कि भविष्य में मुख्य सड़क पर सीवर लाईन पड़ने की स्थिति में कनेक्ट किया जा सके।

18– विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद के निर्देशानुसार ट्रांसफार्मर आदि की व्यवस्था करनी होगी।

19– उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शुल्क जो कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या–56485/13 में दिये गये आदेश के क्रम में नहीं लिए जा रहे हैं, पर एक शपथ पत्र इस आशय का दिया जाना होगा कि उक्त शुल्कों पर "भविष्य में मा0 न्यायालय या शासन द्वारा जो भी शुल्क निर्धारित किया जायेगा, उसे मेरे द्वारा 15 दिन के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा कर दिया जायेगा, अन्यथा इसकी वसूली प्राधिकरण द्वारा भू–राजस्व बकाये के रूप में की जाये।"

यदि निर्धारित अवधि में आपके द्वारा उपरोक्त शुल्क, शपथ–पत्र आदि नहीं जमा किये गये तो यह मानकर कि आप मानचित्र स्वीकृत कराने में, रूचि नहीं रखते हैं, मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

प्रभारी अधिकारी(मानचित्र),
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।